रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215158
CG-DL-E-06012020-215158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941
No. 402] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/ PAUSHA 6, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

मामला सं. एसएसआर 13/2019

दक्षिण अफ्रीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

1. **फा. सं. 7/25/2019-डीजीटीआर.—**जबकि मै० दीपक फिनोलिक्स लि०, मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि० और मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल लि० (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष दक्षिण अफ्रीका (जिसे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए समय-समय पर 1995 और उसके बाद में यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे यहां अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और

संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" कहा गया है के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने तथा उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि :

3. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/4/2002-डीजीएडी दिनांक 15 फरवरी, 2002 के अनुसार यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल आयातों के संबंध में मूल जांच आरंभ की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 24 जून, 2002 की अधिसूचना सं. 14/4/2002-डीजीएडी द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए। यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क के लगाए जाने की सिफारिश करते हुए, प्राधिकारी ने दिनांक 13 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 14/4/2002-डीजीएडी के द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 47/2003- सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।

4. एक मध्यावधि समीक्षा जांच की गई थी और प्राधिकारी द्वारा शुल्क की निर्धारित राशि लगाकर शुल्क के रूप में परिवर्तन के साथ सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल के संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने की सिफारिश करते हुए दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 15/4/2006- डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए थे। राजस्व विभाग ने दिनांक 31.8.2007 की अधिसूचना सं. 98/2007- सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध सामानों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए।

5. पहली निर्णायक समीक्षा जांच 10 अगस्त, 2007 को आरंभ की गई थी। प्राधिकारी द्वारा यूरोपीय संघ और सिंगापुर से संबद्ध सामानों के आयातों पर समान पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने और दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध सामानों के आयातों पर संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हुए दिनांक 4 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 15/9/2007- डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. 114/2008- सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।

6. प्राधिकारी द्वारा यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयातों के संबंध में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 15/16/2011 द्वारा द्वितीय मध्यावधि समीक्षा आरंभ की गई। प्राधिकारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने और सिंगापुर एवं यूरोपीय संघ से संबद्ध सामानों के आयातों पर शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करते हुए दिनांक 6 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 15/16/2011- डी जी ए डी द्वारा द्वितीय एम टी आर जांच में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए थे। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग ने दिनांक 3 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 10/2013- सीमा शुल्क (ए डी डी) द्वारा दक्षिण

अफ्रीका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा तथा सिंगापुर और यूरोपीय संघ से पाटनरोधी शुल्कों को हटाया ।

7. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 27.4.2015 की अधिसूचना सं. 15/21/2013- डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और इसे दिनांक 10.7.2015 की अधिसूचना सं. 32/2015- सीमा शुल्क (ए डी डी) के अनुसार लागू किया गया । संबद्ध देश पर लगाये गये वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 09.07.2020 तक लागू हैं ।

समान वस्तु

8. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन एवं सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं । अत: याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध देश से आयात किए जा रहे सामानों की "समान वस्तु" के रूप में माने जा रहे हैं ।

घरेलू उद्योग

9. यह याचिका निर्णायक समीक्षा की शुरूआत के लिए मै० दीपक फिनोलिक्स लि०, मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लि० और हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल लि० द्वारा दायर की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन देश में संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है, क्योंकि भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

10. प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि. ने पी ओ आई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात किए हैं। तथापि, ये शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत हैं और साथ ही घरेलू बाजार स्थिति को प्रभावित करने के लिए उल्लेखनीय मात्रा में काफी नहीं हैं।

11. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा और उनकी ओर से दिया गया है ।

पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का आधार

12. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश में घरेलू बिक्री कीमतों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी । दक्षिण अफ्रीका बाजार में विद्यमान कीमत के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण याचिकाकर्ताओं ने ट्रेड मैप वैबसाइड पर उपलब्ध दक्षिण अफ्रीकी राजस्व सेवा (एस ए आर एस) के आंकड़ों के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दक्षिण अफ्रीका से बेल्जियम को निर्यात कीमत माना है । इसके अतिरिक्त, बेल्जियम की कीमतें इस कारण मानी जाती हैं कि बेल्जियम भारत के बाद दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात लक्ष्य है।

13. कीमतें कारखानागत स्तर पर लाने के लिए संगत समायोजन किए गए हैं । जांचों की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए सामान्य मूल्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

14. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस के लेन देनवार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है । कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए दक्षिण अफ्रीका में समुद्री भाड़ा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और समुद्री बीमा के निमित्त कीमत समायोजन किए गए हैं ।

15. उपर्युक्तानुसार, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार निर्धारित किया गया है । यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर ही नहीं है बल्कि काफी भी है । इस बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों का निर्मित सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर निर्यात किए जा रहे हैं और इस प्रकार जांच की शुरूआत करने का औचित्य बताने के लिए पाटन की सतत संभावना दर्शाता है ।

क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा कारणात्मक संपर्क

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के कारण कीमत घरेलू उद्योग को पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जिससे लाभ, नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) और नकद प्रवाह कम हुआ । इसके अतिरिक्त संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता एवं निर्यातोन्मुखता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़े भी प्रथमदृष्टया पाटनरोधी शुल्क के बंद होने पर पाटन एवं परिणामी क्षति की संभावना दर्शाते हैं ।

निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

17. और इसीलिए, याचिकाकर्ताओं के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार- बार होने की संभावना की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्क को लगातार जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस तथ्य की जांच करने कि क्या इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पिछली जांच के अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है :-

"फिनोल सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत सामान्य रूप से एक आधारभूत आर्गेनिक रसायन है। उत्पाद का विपणन दो रूपों- बल्क और पैक्ड में किया जाता है। बल्क विक्रय सामान्यत: खुले रूप में होता है, जबकि पैक्ट परिषण काफी छोटे कंटेनर लोड का हो सकता है और सामान्यत: ड्रमों में पैक किया जाता है। फिनोल का प्रयोग फिनोल फोरमार्ल्डहाइड रेसिन, लेमिनेट्स, प्लाईवुड, पार्टीकल बोर्ड्स, बिसफिनोल–ए, अल्काइल फिनोल, फर्मास्युटिकल, डिफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है। इस उत्पाद को भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 और 2707.60 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क और आई टी सी एच एस वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।"

19. चूंकि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद वही है जैसाकि पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया था। फिनोल उप शीर्ष 2907.11 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

संबद्ध देश

20. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश दक्षिण अफ्रीका है ।

जांच की अवधि

21. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 महीने) हैं और क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि है।

प्रक्रिया

22. इस समीक्षा में दक्षिण अफ्रीका से फेनोल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 27.4.2015 की अधिसूचना सं. 15/21/2013-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।

23. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

24. संबंद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे दिए गए पते पर निर्धारित प्रपत्र और पद्धति में सभी संगत सूचना दायर करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

25. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि यह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुंच जाये। हालांकि यह नोट किया जा सकता है कि उक्त उपनियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस के संबंध में यह माना जायेगा कि यह जिस तिथि को निर्दिष्ट प्राधिकारी

को भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया, से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया है । यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है तब प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले मे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और प्रश्नावली का अपना उत्तर उपर्युक्त समयसीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में ''गोपनीयता'' का दावा किया गया है तो, दो अलग-अलग सैटों में उन्हें दायर करना अपेक्षित है ।

i. एक सैट गोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित), और

ii. दूसरा सैट अगोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित) ।

29. ''गोपनीय अथवा अगोपनीय'' अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर **"गोपनीय"** अथवा **"अगोपनीय"** के रूप में स्पष्ट से चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे । दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा । गोपनीय रूपांतर की चार (4) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतर की दो (2) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

30. गोपनीय रूपांतर में वह समस्त सूचना होगी, जो प्रकृति से गोपनीय है और/अथवा अन्य सूचना होगी जिसे उस सूचना को देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है । जिस सूचना के लिए प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उसे सूचना देने वाले के लिए दी गई सूचना के साथ कारण सहित विवरण प्रदान करना अपेक्षित है कि उस सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता ।

31. अगोपनीय रूपांतर के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति हो और अधिमानत: इसे सूचीबद्ध किया गया हो अथवा रिक्त छोड़ा गया हो (यदि विषयसूची बनाना व्यवहार्य न हो) और उस सूचना के आधार पर उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिससे कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि इसका सार दिया जाना क्यों संभव नहीं है।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाले इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

33. उसके सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

34. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. इस नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है, तो प्राधिकारी उसमें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त मानते हों।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMDIES)

INITIATION NOTICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

Case No. SSR 13/2019

Sunset review of Anti-dumping duty imposed on imports of Phenol originating in or exported from South Africa

1. **F. No.7/25/2019-DGTR.—** Whereas M/s. Deepak Phenolics Ltd., M/s. SI Group India Pvt. Ltd. and M/s. Hindustan Organics Chemical Ltd (hereinafter referred to as the "Applicants" or the "Petitioners", have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules"), for Sunset Review of Anti- Dumping investigation concerning imports of Phenol (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from South Africa (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

BACKGROUND

3. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 15th February, 2002. The Designated Authority vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 24th June 2002 notified the Preliminary Findings recommending provisional anti-dumping duties. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No.14/4/2002- DGAD dated 13th February 2003, recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No.47/2003-Customs dated 24th March 2003.

4. A Mid-Term Review investigation was conducted and the Final Finding Notification was notified by the Authority vide Notification No.15/4/2006-DGAD dated 13th July, 2007 recommending continuation of definitive anti-

dumping duty, on all imports of subject goods originating from Singapore, South Africa and European Union with change in the form of duty by imposing fixed amount of duty. The Department of Revenue imposed the definitive anti-dumping duties on the subject goods vide Notification No.98/2007-Customs dated 31.08.2007.

5. The first Sunset Review investigation was initiated on 10th August 2007. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No.15/9/2007- DGAD dated 4th August 2008 recommending continuation of same anti-dumping duty on the imports of subject goods from European Union and Singapore and revised definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from South Africa. On the basis of the recommendations made by the Authority, definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No.114/2008- Customs dated 31st October 2008.

6. The second Mid-term review was initiated by the Authority vide Notification No. 15/16/2011-DGAD dated 8th December 2011 in respect of imports of Phenol originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore. The Final findings in the second MTR investigation were notified by the Authority vide Notification No.15/16/2011-DGAD dated 6th February, 2013, recommending continuation of anti-dumping duties with respect to imports from South Africa and recommending withdrawal of duties on imports of subject goods from Singapore and European Union. On the basis of recommendations made by the Authority the Department of Revenue continued the imposition of anti-dumping duties on imports of subject goods from South Africa and withdrew anti-dumping duties from Singapore and European Union vide Notification No.10/2013-Customs (ADD) dated 3rd May, 2013.

7. The Designated Authority had thereafter recommended continuation of definitive anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country vide Notification No. No.15/21/2013-DGAD dated 27.04.2015 and the same was extended vide Notification No. 32/2015-Customs (ADD) dated 10.07.2015. The current anti-dumping duties imposed on the subject country are in force till 09.07.2020.

LIKE ARTICLE

8. Petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject country. Subject goods produced by the Petitioners and imported from the subject country are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Therefore, subject goods produced by the petitioners are being treated as 'like article' to that being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

9. The petition for initiation of sunset review has been filed by M/s. Deepak Phenolics Ltd., M/s. SI Group India Pvt. Ltd. and M/s. Hindustan Organics Chemical Ltd. As per available information, the production of petitioner companies is 100% of Indian production of the subject goods in the Country, as there are no other producers of the subject goods in India.

10. On the basis of information furnished, the Authority notes that M/s. SI Group India Pvt. Ltd have made imports of the subject goods from the subject country during the POI, however, the same are under duty free scheme and also, are not significant in quantity so as to affect the domestic market situation.

11. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

BASIS OF LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

12. The Applicants have claimed that the information relating to domestic selling prices in the subject country were not available. Due to unavailability of any direct evidence for price prevailing in South Africa market, the petitioners have considered the export price from South Africa to Belgium for determination of normal value as per South African Revenue Services (SARS) Statistics available on Trade Map website. Further the prices of Belgium are considered for the reason that Belgium is the second largest export destination of South Africa after India.

13. Relevant adjustments have been made to the prices to bring them at ex-factory level. There is sufficient evidence of normal value to justify initiation of investigations.

14. The Applicant has claimed export prices on the basis of DGCI&S transaction wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, commission, inland freight expenses, port expenses and marine insurance in South Africa to arrive at ex-factory export price.

15. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that dumping margin is not only above de minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that constructed normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, indicating that the subject

goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus indicating continued likelihood of dumping so as to justify initiation of investigation.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CASUAL LINK

16. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of price effect due to price under cutting and price under selling leading to reduced profits, Return on Capital Employed (ROCE) and cash flows. Further, the data provided by the petitioner on the capacity and export orientation of producers/exporters in the subject countries also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the AD duty.

INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION

17. And therefore, on the basis of the duly substantiated application of the petitioners, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

18. The Designated Authority defined the product under consideration in the Final Findings of the previous investigation as follows-

"Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.60 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."

19. Since the present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Phenol is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2907.11. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

SUBJECT COUNTRY

20. The subject country in the present sunset review investigation is South Africa.

PERIOD OF INVESTIGATION

21. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 to 30th September 2019 (6 Months) and the injury investigation period is from 1st April 2016 to 31st March 2017, 1st April 2017 to 31st March 2018, 1st April 2018 to 31st March 2019, and POI.

PROCEDURE

22. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. No.15/21/2013-DGAD dated 27.04.2015 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Phenol from South Africa.

23. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

SUBMISSION OF INFORMATION

24. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,

Parliament Street, New Delhi -110001.

25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

TIME LIMIT

26. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

    i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

    ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted. Four (4) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

NON-COOPERATION

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.06 12:59:08 +05'30'